

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 08 नवम्बर 2017

विषय:- शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुडकी-छुटमुलपुर-सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0-73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति

महोदय,

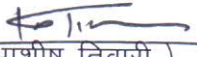
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/48/एफसी/75, दिनांक 14-8-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में उक्त आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1272/सहारनपुर/17752/2016, दिनांक-06-11-2017 के द्वारा शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:-

क्रमांक	भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छायें	निराकरण
1.	The signature of person authorized to make application on behalf of User agency has not been authenticated at part I A-3(xvii).	Corrected and modified online enclosed herewith
2-	Information regarding village wise break up of Non Forest land does not matches with the information provided at A-1 (ix) part I.	modified online
3-	Kml file of proposed forest land for diversion is in polyline format which is not amenable to GIS DSS analysis. Kml files should be submitted in polygon format.	Kml file of proposed forest land for diversion is in polyline format is enclosed.
4-	Geo referenced map uploaded at C-b (iv) in part I of the proposal is without geo coordinates of key points.	modified enclosed
5-	Cost Benefit Analysis placed at G (a) in part I is not as per guidelines of the MoEF&CC.	modified revised Cost Benefit Analysis t as per guidelines of the MoEF&CC. is enclosed
6-	There is a rounding off error in area calculation of proposed forest land for diversion for shiwalik Forest Division and Social Forestry Division, Saharanpur. This issue needs correction.	Rounding off error in area calculation has been rectified. The modified forest area statement enclosed
7	Abstract of enumeration of both divisions do not tally with online details submitted. Abstract of enumeration pertaining to Social Forestry	Corrected Abstract of pertaining to Social Forestry Division Saharanpur is provided in girth class as desired.

	Division, Saharanpur is provided in dia class where as the same should be in girth class	
8	Kml files for proposed compensatory afforestation sites are provided in polyline format which is not amenable to GIS DSS analysis.	Amended Kml files for proposed compensatory afforestation sites enclosed
9	A portion of road falls within Eco Sensitive Zone of Rajaji National Park of Uttarakhand and comments of Chief Wildlife Warden of Uttarakhand shall also be incorporated with the proposal.	Enclosed
10	Part V of the proposal has not been uploaded with the part II online.	Uploaded
11	Calculation of NPV of Social Forestry Division, Saharanpur has been carried out with wrong rates.	Revised NPV calculation is enclosed
12	Exemption certificate under FRA 2006 from DM Saharanpur need correction on account of wrong extent of forest area has been mentioned and it does not refer to rights of other primitive forest dwelling communities	Modified the revise FRA certificate from DM Saharanpur Enclosed

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र ,दिनांक-61-11-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

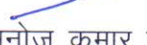
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

 (आशीष तिवारी)
 विशेष सचिव

संख्या-6042 (1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०,लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (मनोज कुमार सिंह)
 अनु सचिव

भाग-5

24

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

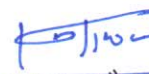
शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुडकी-छुटमुलपुर-सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0-73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposalसंख्या-FP/UP/Road/17752/2016

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-37/14-2-2017-800(32)/2017, दिनांक 31-7-2017 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

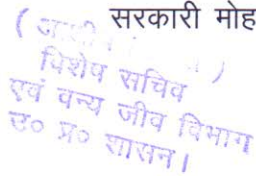
(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

()
विशेष सचिव
वन एवं वन्य जीव विभाग
उ० प्र० शासन।

दिनांक :- 31/07/17